बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

गोपनीय
मुहरबंद

मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख

विषयः– बिहार विधान मंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित/अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित/राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके आश्रित/सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्य कर्मी (पति–पत्नी) तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा बिहार विधान मंडल के सदस्यों एवं उनके आश्रित सदस्यों/पूर्व सदस्य (पति–पत्नी)/अखिल भारतीय सेवा के सेवारत/सेवानिवृत पदाधिकारियों एवं उनके आश्रित तथा पारिवारिक पेंशनरों/राज्य सरकार के सभी नियमित सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) एवं उनके आश्रित सदस्यों की अंतर्वासी चिकित्सा पर हुए व्यय राशि की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न संकल्पों/परिपत्रों के प्रावधानानुसार की जाती है।

2. राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं पेंशनरों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) को प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के रूप में 1000/– (एक हजार) रूपया प्रदान किया जाता है।

3. वर्त्तमान में राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) की संख्या लगभग 7,23,000 (सात लाख तेईस हजार) तथा पेंशनरो की संख्या लगभग 4,74,000 (चार लाख चौहत्तर हजार) आकलित है।

4. राज्य विधानमंडल के वर्त्तमान सदस्यों एवं उनके आश्रित/भूतपूर्व सदस्यों (पति–पत्नी)/अखिल भारतीय सेवा के सेवारत/सेवानिवृत पदाधिकारियों एवं उनके आश्रित /राज्य के नियमित पदाधिकारियों/कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) एवं उनके आश्रित सदस्यों की अन्तर्वासी चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में चिकित्सा पर हुए व्यय राशि का भुगतान माननीय सदस्यों/पूर्व सदस्यों एवं राज्य के नियमित पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा अपने स्तर से संबंधित अस्पताल को किया जाता है। चिकित्सोपरांत अस्पताल द्वारा प्राप्त चिकित्सा से संबंधित विपत्रों एवं साक्ष्यों की समीक्षा एवं जाँच विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा करते हुए इसकी

प्रतिपूर्ति सी०जी०एच०एस० दर पर की जाती है। उक्त प्रक्रिया में अधिक समय लगने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण लाभार्थी को प्रतिपूर्ति की राशि के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होती है।

5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में अधिक समय लगने तथा विभिन्न असाध्य रोगों की अन्तर्वासी चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में प्राथमिक रूप से बहुत अधिक राशि खर्च होने के कारण उक्त व्यवस्था के सरलीकरण हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा की माँग की जाती रही है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा में भी राज्य सरकार के कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है।

6. अन्तर्वासी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सरलीकरण के निमित्त कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु योजना का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

(i) यह योजना "**बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना**" (BGHS) कही जा सकेगी।

(ii) यह स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति में एक पृथक ईकाई के रूप में कार्य करेगी।

(iii) इस योजना के अधीन लक्षित समूह निम्नवत् होगा :–

(क) बिहार विधान मंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य तथा उनके आश्रित।

(ख) बिहार राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं उनके आश्रित/पारिवारिक पेंशनर।

(ग) राज्य सरकार के सेवारत पदाधिकारियों/कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) एवं उनके आश्रित /पारिवारिक पेंशनर।

(घ) राज्य के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) (पति/पत्नी)।

(iv) यह योजना लक्षित समूह के सदस्यों के लिए ऐच्छिक होगी। कालान्तर में उनके द्वारा इस योजना से अलग होने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(v) इस योजना के अधीन लक्षित समूह के सदस्यों को सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल, सी०जी०एच०एस० सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा अधिकतम सी०जी०एच०एस० दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। गैर सी०जी०एच०एस० एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में अंतर्वासी चिकित्सा की स्थिति में पूर्व की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(vi) विपत्र की मूल वास्तविक राशि एवं उक्त चिकित्सा हेतु CGHS की अनुमान्य दर के अंतर का भुगतान संबंधित सदस्य द्वारा किया जायेगा।

(vii) **आई०टी० एवं प्रशासनिक अवसंरचना :–** इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक उत्कृष्ट कोटि का पोर्टल विकसित किया जाना होगा, जो State Data Centre में संधारित रहेगा। पोर्टल के माध्यम से Cashless Card हेतु सदस्यों का सूचीकरण, अस्पतालों का सूचीबद्ध किया जाना, चिकित्सा दावों का निस्तार, Cashless Card निर्गत किया जाना तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्यान्य घटकों का निष्पादन किया जा सकेगा।

इस योजना के संचालन हेतु मानव बल की आवश्यकता का आकलन कर अलग से पद सृजन की कार्रवाई की जाएगी।

(viii) **वित्त पोषणः–** वर्त्तमान में बिहार सरकार के सेवारत /सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) को प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इस योजना के अधीन चिकित्सा भत्ता की 90 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी तथा शेष 10 प्रतिशत राशि उन्हें मिलती रहेगी। योजना संचालन हेतु कटौती की राशि इस निमित निर्धारित निधि में संधारित की जायेगी।

सेवानिवृत्त राज्य कर्मी/पदाधिकारियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) को इस योजना के सदस्य बनने हेतु एक माह की पेंशन की राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।

(ix) योजना प्रारंभ किये जाने के समय इस योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य स्वास्थ्य योजना के निधि में एक बारगी एकमुश्त रू० 100 करोड़ की राशि प्रारंभिक निधि के रूप में दी जायेगी।

(x) इस योजना के संचालन हेतु विहित प्रावधान में संशोधन एवं स्पष्टीकरण, अस्पतालों का सूचीकरण, पोर्टल का निर्माण, कैशलेस कार्ड का निर्गमन, चिकित्सा हेतु पैकेज एवं दर की अधिसीमा, रोगों का वर्गीकरण, एम्बुलेंस, प्री एण्ड पोस्ट हॉस्पिटलाईजेशन, उक्त आवश्यक तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए, योजना के लागू होने की तिथि एवं योजना के अन्य घटकों के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से निर्गत किया जा सकेगा।

(xi) द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत है। उन्हें बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

7. अतः प्रस्ताव है कि– **बिहार विधान मंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित/अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित/राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों/कर्मियों (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों सहित) एवं उनके आश्रित/सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्य कर्मी (पति–पत्नी) तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने हेतु कंडिका–6 में निहित योजना की स्वीकृति दी जाये।**

8. संलेख प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

9. संलेख प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. संलेख की **कंडिका–7** में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

27/5/26

(कुमार रवि)
सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–36/2016(II) 1541(14) **स्वा० पटना, दिनांक–** 27/5/2026

प्रतिलिपिः–संलेख की 60 (साठ) प्रतियों, जाँच पत्र की 5 (पाँच) प्रतियों, प्रेस नोट की 70 (सत्तर) प्रतियों एवं कार्यान्वयन अनुसूची की 5 (पाँच) प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में सम्मिलित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रेषित।

27/5/26

सचिव।